

फॉर्म-ख / FORM B

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(विनिधान (निवेश) सलाहकार) विनियम, 2013
(विनियम 9)

Securities and Exchange Board of India

(INVESTMENT ADVISERS) REGULATIONS, 2013
(Regulation 9)

प्रमाणपत्र सं. / Certificateno. 18

विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र CERTIFICATE OF REGISTRATION AS INVESTMENT ADVISER

1. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) { सेबी अधिनियम } के अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to

Jinesh Kumar Mutha Proprietor of Sky Connect Financial Advisors
B - 304, BHATAR TRADE CENTRE, BHATAR CHAR RASTA, BHATAR
SURAT, 395017

GUJARAT
INDIA
ASFPM0364G

को अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित शर्तों के तहत, विनिधान (निवेश) सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्वारा प्रदान करता है।

as an Investment Adviser subject to the conditions specified in the Act and the regulations made thereunder.

2. विनिधान (निवेश) सलाहकार की रजिस्ट्रीकरण संख्या है :

Registration Number for Investment Adviser is : **INA000018911**

3. यह प्रमाणपत्र 29/02/2024 से तब तक मान्य रहेगा जब तक इसे बोर्ड द्वारा विनियमों के अनुसार निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।

This certificate shall be valid from 29/02/2024 till it is suspended or cancelled in accordance with the Regulations.

आदेश द्वारा
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और की ओर से
By order
For and on behalf of

स्थान /Place: Mumbai
तारीख /Date: 29/02/2024



Securities and Exchange Board of India

NARENDRA RAWAT
Digitally signed by NARENDRA
RAWAT
Date: 2024.03.01 14:38:44 +05'30'
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory

इन शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा रहा है
Conditions subject to which registration is granted:

1. यह रजिस्ट्रीकरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को प्रदान की गई और इस समय सेबी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, लेकिन यदि आगे चलकर निवेश सलाहकार के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है या उसे दोषी पाया जाता है, तो ऐसे में सेबी इस रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा ।
The registration is granted on the basis of information provided to and available with SEBI at this point of time and does not preclude SEBI from cancelling the registration later if anything adverse is found against the Investment Adviser or if the Investment Adviser is convicted.
2. यह प्रमाणपत्र इस शर्त पर प्रदान किया जा रहा है कि आप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड { विनिधान (निवेश) सलाहकार } विनियम, 2013 में दी हुई शर्तों और प्रावधानों का पालन करेंगे ।
The certificate has been granted subject to the conditions and provisions mentioned in Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and SEBI (Investment Advisers) Regulations, 2013.
3. निवेश सलाहकार अपने क्रियाकलापों के संबंध में सेबी या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों / निदेशों / अनुदेशों / परिपत्रों, आदि का पालन सुनिश्चित करेंगे ।
The Investment Adviser shall ensure compliance with the Guidelines / Directives / Instructions / Circulars, etc. issued by SEBI or the Government of India from time to time relating to the activities carried on by them.
4. सेबी, सरकार और अन्य प्राधिकरणों के साथ भविष्य में पत्र-व्यवहार करते समय निवेश सलाहकार को अपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या बतानी होगी, जो इस प्रकार होगी ।
In respect of all future correspondence with SEBI, Government and other authorities, the Investment Adviser should quote its registration number as **INA000018911**
5. निवेश सलाहकार को रजिस्ट्रीकरण की अवधि बढ़ाने के लिए फीस अदा करनी होगी, जिसका उल्लेख भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनिधान (निवेश) सलाहकार विनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची में किया गया है ।
The Investment Adviser, to keep the registration in force, shall pay renewal fees as specified in Second Schedule of the SEBI (Investment Advisers) Regulations, 2013.
6. निवेश सलाहकार द्वारा अदा की गई फीस रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि तक मान्य रहेगी, और रजिस्ट्रीकरण को मान्य बनाए रखने के लिए जिस अवधि के लिए फीस अदा कर दी गई हो उस अवधि के समाप्त होने की तारीख से तीन महीने पहले निवेश सलाहकार को सेबी द्वारा निर्धारित की गई फीस (जो भी सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए) अदा करनी होगी ।
The registration fee paid by the Investment Adviser is valid for a period of five years from the date of certificate and to keep the registration in force, shall pay fee as prescribed by SEBI from time to time, every five years, within three months before expiry of the period for which fee has been paid.
7. यह प्रमाणपत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त विनियमों के विनियम 13 में दी गई निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान किया जा रहा है :
The certificate has been granted subject to the following conditions, inter alia, as specified in Regulation 13 of the above Regulations including as under:
 - 7.1 निवेश सलाहकार अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा ।
The Investment Adviser shall abide by the provisions of the Act and these regulations.
 - 7.2 यदि बोर्ड को पहले से प्रस्तुत की गई कोई जानकारी या विवरण किसी भी प्रकार से मिथ्या या भ्रामक पाए जाते हैं या यदि पहले ही से प्रस्तुत की गई जानकारी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है, तो निवेश सलाहकार तुरंत बोर्ड को लिखित रूप में सूचित करेगा ।
The Investment Adviser shall forthwith inform the Board in writing, if any information or particulars previously submitted to the Board are found to be false or misleading in any material particular or if there is any material change in the information already submitted.
 - 7.3 निवेश सलाहकारों के रूप में रजिस्टर ऐसे निवेश सलाहकार जो एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार की श्रेणी में आते हों, वे अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले समस्त पत्र-व्यवहार में 'निवेश सलाहकार' शब्दों का प्रयोग करेंगे ।

Individuals registered as Investment Advisers shall use the term 'Investment Adviser' in all their correspondences with their clients.

7.4 यदि निवेश सलाहकार एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार की श्रेणी में न आता हो, तो वह अपने नाम में 'निवेश सलाहकार' शब्दों को शामिल करेगा। ऐसे में, यदि निवेश सलाहकार सेवा किसी अलग से पहचाने जा सकने वाले विभाग (डिपार्टमेंट) या प्रभाग (डिवीजन) अथवा समनुषंगी (सब्सिडियरी) द्वारा दी जा रही हो, तो ऐसा अलग से पहचाना जा सकने वाला विभाग या प्रभाग अथवा समनुषंगी अपने नाम में 'निवेश सलाहकार' शब्दों को शामिल करेगी।

If the Investment Adviser is not an individual, it shall include the words 'Investment Adviser' in its name. In such case, if the investment advisory service is being provided by a separately identifiable department or division or a subsidiary, then such separately identifiable department or division or subsidiary shall include the words 'Investment Adviser' in its name.

8. आपका ध्यान विशेष रूप से साधारण बाध्यताओं और जिम्मेदारियों से संबंधित अध्याय-III की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें शामिल हैं – जोखिम रूपरेखा (रिस्क प्रोफाइलिंग), उपयुक्तता, ग्राहकों को प्रकटीकरण, आदि, जो आपके द्वारा दी जाने वाली समस्त निवेश सलाहकार सेवाओं पर लागू होगा।

Attention is particularly invited to Chapter III for General Obligations and Responsibilities which include risk profiling, suitability, disclosure to clients, etc., which shall apply to all investment advisory services provided by the investment adviser.

9. निवेश सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश सलाहकार के रूप में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उसके द्वारा किए जाने वाले किसी ऐसे दूसरे कार्य से कोई संबंध न हो जिसे करने की मंजूरी उसे प्रदान की गई हो।

The Investment Adviser shall maintain an arm's length relationship from its activities as an Investment Adviser and other permitted activities.

10. निवेश सलाहकार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड { अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी } विनियम 2011 का पालन करेगा।

The Investment Adviser shall comply with SEBI {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011.

11. निवेश सलाहकार यह दिखाकर कि वह सेबी से रजिस्टर है न तो कोई दूसरी गतिविधि करेगा और न ही ऐसा कोई कार्य करेगा जिसकी अनुमति विनियम के तहत न दी गई हो।

The Investment Adviser shall not make use of its registered status with SEBI in furtherance of unrelated activities or any other purpose which is not permitted in the Regulations.

12. निवेशक निवेश सलाहकार के साथ लेनदेन करने से पहले सेबी के वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर जाकर उनके रजिस्ट्रीकरण की स्थिति जान लें।

Investors may check registration status of the Investment Adviser on SEBI website: www.sebi.gov.in before transacting with them.